भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2493

उत्तर देने की तारीख -04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना

2493. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों के पिछड़े जिलों में महिलाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस योजना में राजस्थान के पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी गई है, विशेषकर दौसा लोक सभा क्षेत्र के कितने गाँव या ब्लॉक शामिल हैं और अब तक कितनी महिलाओं को लाभ हुआ है;

(ङ) क्या सरकार निकट भविष्य में राजस्थान के उक्त जिलों, जिसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, कोई नई पहल शुरु करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): भारत सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं सहित देश के युवाओं की नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय

शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एमएसडीई योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन तथा भोजन और आवास के साथ-साथ नियुक्ति के बाद सहायता पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और विशेष ध्यान दिया जाता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में महत्व दिया हैं। पीएमकेवीवाई के तहत विशेष परियोजनाएं स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप परिकल्पित की गई हैं, जिनमें ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और उससे लाभान्वित होने के अवसर पैदा होते हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ को सुनिश्चित करता है। एनएपीएस के तहत, सेवा क्षेत्र (वैकल्पिक ट्रेड) में ट्रेडों को शामिल किए जाने से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जेएसएस योजना के तहत महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया जा रहा है। जेएसएस के तहत 80% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं । इसके अतिरिक्त 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है । भारत सरकार ने सभी आईटीआई (सरकारी और निजी) में सभी पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटों का आरक्षण स्वीकृत किया है और ये सीटें प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकती हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से नव्या (एनएवीवाईए) - युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषणनामक एक संयुक्त पहल शुरू की है । नव्या एक प्रायोगिक पहल है जिसका उद्देश्य 16-18 वर्ष की आयु की किशोरियों को न्यूनतम 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण किए जाने के साथ, मुख्यतः गैर-पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फरवरी 2025 में उत्तरपूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिज़ोरम और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में महिला उद्यमिता कार्यक्रम, स्वावलंबिनी, की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का

उद्देश्य उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है।कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) गुवाहाटी, इसके लिएकार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

एमएसडीई की योजनाएँ माँग आधारित हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित या संचालित किए जाते हैं। भारत में राजस्थान और दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जयपुर, अलवर और दौसा जिले) में एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:

	पीएमकेवीवाई केंद्र (एसटीटी+एसपी)*	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस प्रतिष्ठान	आईटीआई
अखिल भारतीय	12,838	289	51,895	14,615
राजस्थान	1,453	9	1,060	1,546
जयपुर	253	1	433	250
अलवर	99	0	240	115
दौसा	51	0	17	112

** अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और विशेष परियोजनाएं (एसपी)*

अनुबंध

'ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना' के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2493 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 2015 से-16 से 30.06.2025)	जेएसएस (2018-19 से) तक)	एनएपीएस (2018-19 से) तक)	आईटीआई (2018-19 से 2024-25 तक)
अंडमान और निकोबार दीव समूह	2,248	4,865	107	1,161
आंध्रप्रदेश	2,32,933	63,325	18,360	14,429
अरूणाचल	60,159	718	106	1,260
असम	5,13,921	53,543	17,991	6,225
बिहार	2,82,456	1,71,847	4,938	43,129
चंडीगढ़	13,703	8,271	1,599	3,300
छत्तीसगढ	1,00,926	1,04,156	4,183	42,259
दिल्ली	2,27,460	30,723	22,918	22,146
गोवा	3,120	11,013	11,135	2,854
गुजरात	1,97,721	1,00,043	82,116	1,13,645
हरियाणा	2,77,627	41,989	53,659	77,139
हिमाचल	90,710	56,902	6,789	33,508
जम्मू और कश्मीर	2,33,032	9,277	886	18,711
झारखंड	1,38,982	78,071	5,222	10,362
कर्नाटक	2,56,759	1,12,646	76,377	23,747
केरल	1,17,142	94,837	17,368	46,633
लद्दाख	2,699	637	100	1,014
लक्षद्वीप	114	3,848	15	880
मध्य प्रदेश	5,64,245	2,87,521	23,478	70,820
महाराष्ट्र	4,61,944	2,09,825	2,22,373	1,38,397
मणिपुर	84,735	27,905	152	774
मेघालय	32,652	3,864	465	1,900
मिजोरम	27,351	3,708	91	667
नागालैंड	31,515	7,328	37	368
ओडिशा	2,22,446	2,27,452	9,129	50,112
पुदुचेरी	21,431	-	3,449	906
पंजाब	2,86,355	18,450	16,263	83,364
राजस्थान	5,95,133	67,674	12,459	67,145

सिक्किम	10,915	-	447	845
तमिलनाडु	5,44,604	79,702	1,01,923	31,970
तेलंगाना	1,93,590	63,561	45,010	14,344
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	5,841	12,394	1,853	741
त्रिपुरा	77,269	13,277	433	4,056
उत्तर प्रदेश	11,04,137	4,79,272	51,424	2,69,473
उत्तराखंड	1,28,885	73,376	16,167	12,351
पश्चिम बंगाल	2,84,421	70,925	37,147	31,065
कुल	**74,29,181**	**25,92,945**	**8,66,169**	**12,41,700**

*****